पत्र सं0-विधि/ ई रजिस्ट्रेशन /2016-2017/ 817 /1617017 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(विधि अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: जून 30 ,2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

कृपया वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदान की जा रही आनलाइन ई-रजिस्ट्रेशन के सन्दर्भ में समय-समय पर जारी परिपत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। वर्तमान प्रक्रिया में व्यापारी द्वारा आनलाइन पंजीयन आवेदन दिये जाने के पश्चात आवेदन के निस्तारण का तथा व्यापार स्थल के सर्वेक्षण (Inspection) का कार्य उसी खंड/मंडल कार्यालय के क्रमश: असिस्टेंट कमिश्नर तथा वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार के Ease of doing Business प्रोग्राम के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गयी है कि व्यापारी के आनलाइन आवेदन के पश्चात रजिस्ट्रेशन सर्वेक्षण (Inspection) हेतु अधिकारी का चयन आनलाइन किया जायेगा।

इस क्रम में यह व्यवस्था निर्धारित की जाती है कि गैर संवेदनशील वस्तुओं के व्यापारी द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन के निस्तारण के उपरान्त पंजीयन सर्वेक्षण (Inspection) हेतु सम्बन्धित वाणिज्य कर अधिकारी का चयन आनलाइन सिस्टम द्वारा स्वत: किया जायेगा तथा सम्बन्धित आनलाइन आवेदन वाणिज्य कर अधिकारी के लाग इन पर उपलब्ध होगें तथा उन आवेदन पत्रों पर चयनित वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा जॉच की कार्यवाही पूर्व की भॉति नियमानुसार 15 दिन के अन्दर सम्पादित की जायेगी।

इन निर्देशों का समुचित प्रचार प्रसार करने तथा कड़ाई से इनका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

30/06/16
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।